# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—1902/2015

कमला कुमारी

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता (पश्चिम) सीएडी, बीकानेर।
3. अधीक्षण अभियंता, सि.क्षे.वि., ओ.एफ.डी. वृत्त ई.गा.न.प. बीकानेर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 25.04.2024

उपस्थित —

**अपीलार्थी की ओर से** : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता

**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)**
**शुचि शर्मा, सदस्य**

## आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 27.05.2015 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से नियमित नहीं मानते हुए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से सेवा में नियमित माना गया है और इसी के अनुसार अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी की ओर से तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी ने पूर्व में 9 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर दिये गये चयनित वेतनमान के आदेश को संशोधित किये जाने पर अपील प्रस्तुत की थी, जो अपील संख्या 02/1999 इस अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 10.04.2000 को निस्तारित की गयी और चयनित वेतनमान का लाभ वापस लिये जाने के आदेश को अनुचित माना गया। इसके पश्चात सरकार द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिस रिट याचिका संख्या 3303/2000 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.2000 के द्वारा निस्तारित की गयी, जिसमें अपीलार्थी को दिनांक 07.11.1985 से नियमित मानते हुए अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ 1994 से दिया जाना उचित माना गया।
2. हमारे मत में जब माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को दिनांक 07.11.1985 से नियमित माना है तो अपीलार्थी को समस्त चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 07.11.1985 से नियमित मानते हुए ही दिया जाना चाहिए था। ऐसे में अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ भिन्न तारीख

से सेवा की गणना कर दिया जाना उचित नहीं है। हम यह भी पाते हैं कि 27 वर्षीय चयनित वेतनमान की गणना भिन्न तारीख से किया जाना माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत होगा।

3. ऐसे में यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी की नियमितिकरण की दिनांक 07.11.1985 मानते हुए अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाए। अपीलार्थी को उपरोक्त लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में आदेश 6 माह में पारित करें। अपीलार्थी 27 वर्षीय चयनित वेतनमान के लाभ पर एरियर की राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)